गरानी प्र. क. 0/2016–17

प्रस्तुती दिनांक 22.02.2017

R723PB217

माननीय न्यायालय अध्यक्ष महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के समक्ष

बद्रीलाल पिता हीरालाल
निवासी – ग्राम अजनोद तहसील सांवेर,
जिला इन्दौर

———अपीलार्थी/निगरानीकर्ता

विरूध्द

म.प्र. शासन द्वारा जिला कलेक्टर इंदौर ———प्रत्यर्थी

आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 तथा 32 के अंतर्गत

श्रीमान कलेक्टर महोदय इंदौर के द्वारा निगरानीकर्ता के विधि सम्मत स्वच्छा न्याय प्राप्ति हेतु अपील प्रकरणो को अन्य अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में स्थानातंरित करने बाबद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्र.क्र. 179 बी 121/2015–16 में दिनांक 23.01.2017 को उक्त प्रकरण नस्तीबद्व कर दिया उक्त आदेश से व्यथीत एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत करना भाग हुआ है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 723–पीबीआर/17

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–3–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी को पूर्व से प्रकरण का परीक्षण कर सुनवाई आदि करना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना होता है, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने से आवेदक के विरूद्ध अन्याय होने की कोई संभावना नहीं रहती है । इसलिये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण अन्य पीठासीन अधिकारी को स्थानान्तरित करने संबंधी आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	